न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 338/2026

विवेक कुमार उर्फ बेबी कुमार, पे0– मिक्की सिंह उर्फ बाल्मीकी सिंह
साकिन–पचासा, थाना–भागन विगहा(रहुई), जिला–नालंदा..............आवेदक
बनाम
बिहार सरकार

12.03..2026

रहुई(भागन विगहा) थाना कांड संख्या–47/2026 धारा–126(2), 115(2), 117(2), 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ बेबी कुमार की ओर से पूर्व से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–338/26 को वापसी हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त कराया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक विवेक कुमार उर्फ बेबी कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–338/26 दाखिल किया गया था। आज उनके विद्वान् अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर कथन किये हैं कि आवेदक न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अतः वे उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचना के उपरांत आवेदक के निवेदन को **स्वीकार** करते हुए आवेदक के उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।